अनुबंध 2

मास्टर परिपत्र

रुपया जमाराशियों पर ब्याज दरें

जमाराशियों पर ब्याज की दर

(एनआरई जमाराशियां)*

[पैरा 1, 4 बी देखें]

खाते की श्रेणी	प्रतिशत प्रतिवर्ष
(i) चालू	कुछ नहीं
(ii) बचत	@
(iii) मीयादी जमाराशियां	@@

* अनिवासी (बाह्य) रूपया जमारशियां केवल वही बैंक स्वीकार करेंगे जिन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बारे में प्राधिकृत किया हो।

@

(i) 3 मई 2011 से 27 दिसंबर 2011 तक 4 %

(ii) 28 दिसंबर 2011 से बैंक अपनी बचत बैंक ब्याज दर निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं।

(iii) एनआरई जमाराशियों पर बैंक द्वारा दी जाने वाली ब्याज दरें तुलनीय घरेलू रुपया जमाराशियों पर दी जानेवाली ब्याज दरों से अधिक नहीं हो सकतीं।

(iv) 1 सितंबर 2013 से 28 फरवरी 2014 तक तीन वर्ष और उससे अधिक की परिपक्वता अवधि की वृद्धिशील एनआरई जमाराशियों पर आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर)/सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) पर देने वाली छूट के लाभ को आगे बढ़ाने के लिए बैंकों को ऐसी जमाराशियों पर किसी उच्चतम सीमा के बिना ब्याज दर निर्धारित करने की स्वतंत्रता देने का निर्णय लिया गया है। 01 मार्च 2014 से लागू रूप में ब्याज दर की उच्चतम सीमा, 30 अगस्त 2013 से पूर्व की स्थिति के अनुसार होगी, अर्थात एनआरई जमा राशियों पर बैंकों द्वारा दी जाने वाली ब्याज दर किसी हालत में तुलनीय (कंपेरबल) घरेलू रुपया जमा राशियों पर उनके द्वारा दिए जाने वाले दर से अधिक न होगी।

(v) एनआरई बचत जमाराशियों की जमानत पर अग्रिम के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि एनआरई बचत जमाराशि का खाताधारक बचत जमाराशि को किसी भी समय निकाल सकता है, इसलिए बैंक इन जमाराशियों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी प्रकार का लीयन निश्चित न करें।

@@

(i) 28 दिसंबर 2011 से एक वर्ष और उससे अधिक अवधि की परिपक्वता वाले एनआरई मीयादी जमाराशियों पर ब्याज दर विनियंत्रित किया गया है।

(ii) 29 अप्रैल 2003 से नई एनआरई जमाराशियों की परिपक्वता अविध साधारणत: एक से तीन वर्ष की होगी है। यह बात अपनी परिपक्वता अवधि के बाद नवीकृत की गई एनआरई जमाराशियों पर भी लागू होगी।

(iii) यदि कोई विशिष्ट बैंक अपने आस्ति देयता प्रबंधन की दृष्टि से 3 वर्ष से अधिक की परिपक्वता अवधि के लिए ऐसी जमाराशियां स्वीकार करना चाहता है तो वह ऐसा कर सकता है, बशर्ते ऐसी जमाराशियों पर ब्याज दर 3 वर्ष की एनआरई जमाराशि के लिए लागू दर से अधिक न हो।

(iv) नई प्रत्यावर्तनीय एनआरई जमाराशियों पर एक से तीन वर्ष के लिए ब्याज दरें:

क्रमांक	----- को कारोबार की समाप्ति से प्रभावी	ब्याज दर निम्नलिखित से अधिक न हो
1	15 नवंबर 2008	तदनुरूपी परिपक्वता वाले अमरीकी डॉलर के लिए पिछले महीने के अंतिम कार्य दिवस को लिबोर/ स्वैप दर प्लस 175 आधार अंक
2	23 नवंबर 2011	तदनुरूपी परिपक्वता वाले अमरीकी डॉलर के लिए पिछले महीने के अंतिम कार्य दिवस को लिबोर/ स्वैप दर प्लस 275 आधार अंक
3	28 दिसंबर 2011	विनियंत्रित

(v) पिछले माह के अंतिम कार्यदिवस को प्रभावी लीबोर/ स्वैप दरें अनुवर्ती माह से लगाई जानेवाली ब्याज दरों की उच्चतम सीमा तय करने का आधार होंगी। एनआरई जमाराशियों पर ब्याज दरें निर्धारित करने के लिए एफईडीएआई द्वारा उद्धृत लीबोर/ स्वैप दरों का उपयोग संदर्भ दर के रूप में किया जाएगा।

(vi) परिचालनगत सुविधा के लिए ब्याज दरों को नजदीक के दशमलव बिंदु में पूर्णांकित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए 3.67 प्रतिशत की परिकलित ब्याज दर 3.7 प्रतिशत और 3.64 प्रतिशत की परिकलित ब्याज दर 3.6 प्रतिशत हो जाएगी।

(vii) उक्त ब्याज दरें परिपक्वता पर एनआरई जमाराशियों के नवीकरण पर भी लागू होंगी।

(viii) 3 वर्ष की जमाराशियों के लिए ऊपर निर्धारित ब्याज दरें परिपक्वता अवधि 3 वर्ष से अधिक हो जाने पर भी लागू होंगी।

****